~~प्रार्थी~~ दिनांक 25/2/21
को पेश हो।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी

25/02/2021। पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने बहस में कथन किया कि राजस्व ग्राम पूनियों की बासनी तहसील-बावड़ी के खसरा सं. 3142/6 रकबा 1.6180 हैक्टेयर गै. मु. आबादी भूमि दर्ज है तथा उक्त खसरे पर 40 वर्षों से आबादी बसी हुई है जिस पर ग्राम वासी पूनियों की बासनी वाले निवास कर रहे है। राज्य सरकार द्वारा निष्पादित ऑनलाईन राजस्व रेकर्ड प्रक्रिया में तहसील बावड़ी के ऑनलाईन होने के दरम्यान ~~सहवन~~ से लिपिकीय त्रुटिवश हुई गलत तरमीम को दुरस्त करवाने का निवेदन किया।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं तहसीलदार बावड़ी से प्राप्त मौका जाँच रिपोर्ट का अध्ययन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया।

बाद अवलोकन सद्... एवं ...न के प्राकृतिक न्याय ... के आधार पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 RLR Act को स्वीकार किया जाता है।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2021.12.16 12:46:25 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	तहसीलदार बावड़ी को आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार बावड़ी से प्राप्त मौका जाँच रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम पूनियों की बासनी के खसरा सं. 3142/6 की तरमीम शुद्धि कर पटवारी नक्शा लट्ठा अनुसार तरमीम दुरस्ती की जावे। तहसीलदार बावड़ी उक्तानुसार तरमीम शुद्धि कर राजस्व नक्शे में अमलदरामद करें। तहसीलदार बावड़ी से प्राप्त मौका जाँच रिपोर्ट इस आदेश का भाग रहेगी। तहसीलदार बावड़ी को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। फैसला खुले न्यायालय में सुनाया गया। सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी	

Signature Not Verified

Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2021.12.16 12:46:25 IST
Reason: SelfAttested